पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1080
दिनांक-29.06.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

मोहर्रम पर्व के दौरान छज्जा गिरने जिससे 02 बच्चो की मृत्यु व 11 व्यक्तियो के घायल हो जाने की घटना से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त को थाना इटौंजा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

- **मोहर्रम पर्व के दौरान छज्जा गिरने की घटना में थाना इटौंजा पुलिस की त्वरित कार्रवाई।**
- **02 बच्चों की मृत्यु एवं 11 व्यक्तियों के घायल होने के मामले में 02 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण कृत्य के संबंध में पंजीकृत अभियोग में हुई गिरफ्तारी।**
- **घटना के प्रत्येक पहलू की गहन विवेचना जारी, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **27.06.2026** को थाना इटौंजा पर वादी मुकदमा **श्री इमरान पुत्र साजिद**, निवासी वार्ड नं०-06, काजीटोला, कस्बा महोना, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मोहर्रम पर्व के अवसर पर विपक्षीगण अपने मकान के सामने न बैठकर मकान के छज्जे पर बैठकर श्रद्धालुओं/राहगीरों को कोल्ड ड्रिंक एवं बिस्किट वितरित कर रहे थे। इसी दौरान अत्यधिक भार पड़ने के कारण छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। उक्त दुर्घटना में **02 बच्चों की दुःखद मृत्यु** हो गई तथा **11 अन्य व्यक्ति घायल** हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटौंजा पर **मु0अ0सं0-89/2026**, धारा **106 भारतीय न्याय संहिता (BNS)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना इटौंजा पुलिस द्वारा तत्परता एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए विवेचना के दौरान नामित दोनों अभियुक्तों की तलाश की गई तथा दिनांक **29.06.2026** को थाना क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा पर्याप्त सावधानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना अपने मकान के छज्जे पर बैठकर लोगों को कोल्ड ड्रिंक एवं बिस्किट वितरित किया जा रहा था। छज्जे पर अत्यधिक भार पड़ने के कारण वह अचानक गिर गया, जिससे यह दुःखद दुर्घटना घटित हुई। प्रथम दृष्टया अभियुक्तों का उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्ण आचरण घटना का कारण पाया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1.मेहराव उर्फ मेराज पुत्र मुस्ताक अली निवासी वार्ड नम्बर 09 पकरिया मोहल्ला नगर पंचायत महोना थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

2.गुलजार अली पुत्र मुस्ताक अली निवासी ग्राम वार्ड नम्बर 09 पकरिया मोहल्ला नगर पंचायत महोना थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार तिवारी थाना इटौंजा लखनऊ
2. रि0का0 पीयुष गुप्ता थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1083

दिनांक-29.06.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- **थाना मडियांव की पुलिस टीम चाकू से हमला करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चाकू बरामद।**

01-कार्यवाही।

दिनांक 28.06.2026 आवेदक श्री ओमप्रकाश पुत्र नन्हा पाल निवासी भरत नगर थाना मड़ियांव लखनऊ मूल निवासी ग्राम परसहिया थाना इटौंजा लखनऊ द्वारा बावत आरोपी द्वारा वादी के बेटे सौरभ पाल पर चाकू से हमला करने जिसके कारण उसे काभी चोट आने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 302/26 धारा 118 (2) बीएनएस बनाम सुरज उर्फ नाटू के पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.06.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल चौकी क्षेत्र नौबस्ता में मामूर थी। कि जरिए मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि एक दिन पहले गायत्रीनगर में बाबा की गुमटी के पास जिस लड़के ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल किया था वह लड़का इस समय मडियांव पुल के नीचे खड़े होकर कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम प्रांशु शुक्ला उर्फ सूरज उर्फ नाटू पुत्र रामबाबू शुक्ला निवासी पतौंजा थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर हाल पता मुबारकपुर थाना सैरपुर लखनऊ उम्र 23 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से मुकदमा उक्त की घटना से सम्बन्धित 01 अदद टूटी हुई चाकू बरामद हुई। पकड़े गये अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए हिरासत हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।

03.-अभियुक्त का विवरणः-

01. प्रांशु शुक्ला उर्फ सूरज उर्फ नाटू पुत्र रामबाबू शुक्ला निवासी पतौंजा थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर हाल पता मुबारकपुर थाना सैरपुर लखनऊ उम्र 23 वर्ष **(व्यव्साय – जोमेटो में)**

04. बरामदगी का विवरणः-

- 01 चाकू

05.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 दीपक कुमार पाण्डेय
3. का0 मनोज कुमार
4. का0 रोहित कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1084
दिनांक-29.06.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा बन्द मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 01 शातिर चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

- ***पकड़े गये अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, 02 अदद कटोरी सफेद धातु बरामद।***
- ***अभियुक्त अपनी बचाव के लिए रखता था .315 बोर का अवैध देशी तमंचा।***

01-कार्यवाही-

दिनांक 29.06.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल चौकी क्षेत्र नौबस्ता में नौबस्ता मोड पर मामूर थी। कि जरिए मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित एक व्यक्ति जो बन्द घरों में चोरी करता है चोरी के सामान के साथ आईआईएम रोड घैला पुल के पास अस्थाई पार्किंग में कही जाने की फिराक मे है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम इनायत पुत्र स्व0 शमशेर अली निवासी रहीमनगर डुडौली रामलीला मैदान नौबस्ता थाना मड़ियांव लखनऊ उम्र लगभग 22 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, 02 अदद कटोरी सफेद धातु, 01 अदद अवैध देशी तमन्चे .315 बोर, 01 अदद कारतूस .315 बोर बरामद हुए।

बरामद चोरी के सामान के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 303/2026 तथा मु0अ0सं0 211/26 पंजीकृत होना पाया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गयी।

पकड़े गये अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्म धारा 331(1)/305(a)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद 01 अदद अवैध देशी तमन्चे .315 बोर, 01 अदद कारतूस .315 बोर के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 304/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त बन्द मकानों का ताला तोड़कर सामान चोरी करना तथा अपने बचाव के लिए अवैध तमंचा रखना ।

03-अभियुक्त का विवरण:-

01-इनायत पुत्र स्व0 शमशेर अली निवासी रहीमनगर डुडौली रामलीला मैदान नौबस्ता थाना मड़ियांव लखनऊ उम्र लगभग 22 वर्ष (व्यवसाय – टाइल्स का काम)

04-अभियुक्त इनायत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 120/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मडियांव लखनऊ
02. मु0अ0सं0 121/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना मडियांव लखनऊ
03. मु0अ0सं0 122/2024 धारा 379/411 भादवि थाना मडियांव लखनऊ
04. मु0अ0सं0 123/2024 धारा 379/411 भादवि थाना मडियांव लखनऊ
05. मु0अ0सं0 248/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मडियांव लखनऊ
06. मु0अ0सं0 707/2025 धारा 117(2)/324(2)/352 बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

05-अनाविरत अभियोग

01. मु0अ0सं0 303/2026 धारा 331(1)/305ए बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ
02. मु0अ0सं0 211/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ
03. मु0अ0सं0 304/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मडियांव लखनऊ

06-बरामदगी का विवरणः-

- 02 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 01 जोड़ी बिछिया सफेद धातु
- 02 अदद कटोरी सफेद धातु
- 01 अदद अवैध देशी तमन्चे .315 बोर
- 01 अदद कारतूस .315 बोर

07.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार पाण्डेय
3. हे0का0 कमलेश कुमार
4. का0 मनोज कुमार
5. का0 रोहित कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1081

दिनांक-29.06.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

- **थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण तथा थाना महिगवां पुलिस द्वारा दिनांक 29.06.2026 को मु0अ0सं0 129/2025 धारा 105/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुभाष पुत्र जमुना प्रसाद रावत निवासी ग्राम खंतारी, थाना महिगवां, लखनऊ, उम्र लगभग 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

उक्त वांछित अभियुक्त विगत एक वर्ष से पुलिस से बचकर भाग रहा था जिसके सम्बन्ध में मुखबिर खास से सटीक सूचना मिली कि अभियुक्त सुभाष अपने गांव के बाहर बाबा की कुटिया के पास मवई कला रोड पर खड़ा है। सूचना मिलते ही थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वांछित अभियुक्त मौके पर पहुंचकर कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध थाना महिगवां में मुकदमा पंजीकृत होने के कारण वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर रह रहा था।

03- अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा पूर्व नियोजित रूप से एकराय होकर रात्रि में वादी के घर पहुंचे अपने साथ लाये लाठी-डण्डों से वादी के पिता मुन्नूलाल पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ प्रहार कर गंभीर चोटें पहुंचाई तथा बीच-बचाव करने पर वादी, उसके भाई एवं बहन के साथ भी मारपीट की। घटना के उपरान्त अभियुक्तगण पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सुभाष पुत्र जमुना प्रसाद रावत निवासी: ग्राम खंतारी, थाना महिगवां, लखनऊ उम्र: लगभग 19 वर्ष

05-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 129/2025 धारा 105/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस, थाना महिगवां, लखनऊ।

06- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ-

1. श्री राधेश्याम मौर्य, थानाध्यक्ष (टीम प्रभारी)
2. व0उ0नि0 गौरी शंकर यादव
3. उ0नि0 अमित सिंह
4. रि0का0 रचित कुमार

05-का0 लालबहादुर

06- का0 बनारसी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1085
दिनांक-29.06.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।**

01-कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमति अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा गठित टीम द्वारा नाबालिग के साथ दुराचार करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28/06/2026 को वादिनी द्वारा थाना मोहनलालगंज आकर तहरीरी सूचना दी गयी कि मेरी बेटी उम्र करीब 10 वर्ष को वसीम पुत्र स्वर्गीय हसन अली करेला मिस्त्री निवासी पूरनपुर थाना मोहनलालगंज उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा घर के बाहर से आम का लालच देकर बुलाया गया तथा उसके साथ दुराचार करने का प्रयास कर रहा था। इस सूचना पर तत्काल थाना मोहनलालगंज में मु0अ0स0 240/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा चश्मदीद साक्षियों के बयान अंकित किए गए, मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य को कब्जे में लेकर विधिवत सील कर फर्द तैयार की गई। विवेचना के क्रम में पीड़िता का नियमानुसार बयान अंकित किया गया जिसके क्रम में पाया गया कि **अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया है।** अभियुक्त घटना के पश्चात फरार हो गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल दो पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा कल दिनांक 28.06.2026 से लगातार अभियुक्त के मिलने वाले स्थानो पर दबिश दी जा रही थी, सूचना पर आज दिनांक 29.06.2026 को पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम उपरोक्त को शिवढरा अंडरपास से गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण, डीएनए परीक्षण एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कराते हुए कल न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-वसीम पुत्र स्व0 हसन अली निवासी ग्राम पूरनपुर तकिया थाना मोहनलालगंज, लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण—

01-मु0अ0स0 240/26 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- व0उ0नि0 श्री यशवन्त सिंह
- म0उ0नि0 आकांक्षा
- का0 दिपेन्द्र सिंह
- का0 अमित कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोटः-1079
दिनांक-29.06.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी व साइबर सेल की संयुक्त टीमों द्वारा कॉरपोरेट धोकाधड़ी रैकेट के अंतरराष्ट्रीय गैंग का किया गया खुलासा।
- साइबर फ्राड करते हुये आम जनता से करोड़ो की ठगी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।
- अभियक्तगणो के कब्जे से 79 चेक बुक, 77 ए0टी0एम0 कार्ड, 14 की पैड मोबाइल, 15 एण्ड्राइड मोबाइल आदि बरामद किये गये।

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे जागरुकता अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त निरीक्षक थाना सुशान्त गोल्फ सिटी श्री विनोद कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम व साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही में बैंक अकाउंट खुलवाकर ऑनलाइन साइबर फ्राड करने वाले अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट धोकाधड़ी रैकेट के 04 शातिर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

02- संक्षिप्त का विवरणः-

- दिनांक-28.06.2026 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग लाईट हाउस आवास विकास योजना के ब्लाक ए/1010 प्लैट नम्बर में साइबर फ्रॉड का काम कर रहे है। सूचना पर तत्काल थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस बल द्वारा कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुचे तो देखा कि चार लोग उपरोक्त फ्लैट में लैपटोप व मोबाइल से कुछ फ्रॉड का पैसा ट्रान्सफर कर रहे थे।
- मौके से मौजूद लोगो को हिरासत में लेकर पूछताछ कि गयी तो ज्ञात हुआ कि ये लोग साइबर फ्रॉड व कम्पनी बनाकर पैसे का ट्रान्सफर कर उसके निकाल लेते थे।
- उक्त के संबंध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ पर मु0अ0सं0-409/2026, धारा 317 (2)/318(4)/61(2) बीएनएस व 66 सी/डी आईडी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगणों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्त की तलाश जारी है ।

03.गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सत्येन्द्र सविता पुत्र सूरज कुमार सविता निवासी म0नं0 336 पीताम्बर नगर, थाना कोतवाली जनपद उन्नाव उम्र 28 वर्ष

   शिक्षा- 12वी पास

   व्यवसाय-बाल काटने का काम करता है।
2. निप्पु कुमार पुत्र बालिस्टर साह निवासी ग्राम व पोस्ट सुगाँवडीह थाना सुगौली जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार उम्र 23 वर्ष

   शिक्षा-अनपढ

   व्यवसाय-मजदूरी
3. मनीष कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट सुगाँवडीह थाना सुगौली जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार उम्र 25 वर्ष

   शिक्षा-11वी पास

   व्यवसाय-कॉसमेटीक की दुकान पर काम करता है।
4. सन्नी कुमार पुत्र मनोज मधुसूदन शाह निवासी ग्राम व पोस्ट सुगाँवडीह थाना सुगौली जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार उम्र 26 वर्ष

   शिक्षा- 12वी पास

   व्यवसाय-प्राइवेट नौकरी करता है।

04 पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणो से कडाई से पूछतांछ करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियुक्तो द्वारा अपने साथी के कहने पर जनता के लोगो को बहला फुसला कर उनके नाम पर करेंट एकाउण्ट व फर्जी आफिस की आढ में फर्म रजिस्टर करवा लेते थे । तत्पश्चात इनके साथी द्वारा साइबर फ्राड करते हुये उक्त खातो में ट्राजेक्शन करके पैसे ट्रांसफर करते थे । जिससे अभियुक्त उपरोक्त अपना आर्थिक लाभ लेते थे । अभियुक्तगणों के विरुद्ध विभिन्न राज्यो में Online NCRP Portal पर 718 शिकायते दर्ज है । जिनकी जानकारी की जा रही है।

05.माड्स ऑपरेंडीः-

कॉर्पोरेट म्यूल अकाउंट रिंगः-

यह सिंडिकेट एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, लेयर्ड फाइनेंशियल साइबरक्राइम नेटवर्क चलाता है, जिसे किंगपिन की पूरी तरह से पहचान छिपाते हुए गैर-कानूनी फंड को लॉन्ड्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ऑपरेशन को चार अलग-अलग फेज़ में बांटा जा सकता है:-

आइडेंटिटी थेफ्ट और कॉर्पोरेट शेल कंपनी क्रिएशन:-

↓

टारगेटिंग:- आरोपी रैंडम, अनजान लोगों के KYC डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं या खरीदते हैं।

↓

फेब्रिकेशन:- इन आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके, वे ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के साथ फ्रॉड शेल कंपनियाँ रजिस्टर करते हैं।

↓

कॉर्पोरेट बैंकिंग:- पर्सनल अकाउंट्स के बजाय, वे इन शेल कंपनियों Kindred Elements and KDS Pvt.Ltd. के तहत कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स खोलते हैं। यह ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन लिमिट पक्का करने और पर्सनल अकाउंट में ज़्यादा वेलोसिटी ट्रांसफ़र से तुरंत होने वाले रेड फ़्लैग से बचने का एक सोचा-समझा तरीका है।

↓

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट (द किट)

इन अकाउंट को दूर से मैनेज करने और मास्टरमाइंड को पूरा कंट्रोल देने के लिए, हैंडलर एक "म्यूल किट" बनाते हैं, जिसमें ये चीज़ें होती हैं:-

↓

डिजिटल एक्सेस:- बैंकिंग ऐप्स को मैनेज करने, OTP पाने और WhatsApp एक्सेस करने के लिए कई मोबाइल फ़ोन।

↓

फ़िज़िकल एक्सेस:- कैश रूटिंग के लिए चेकबुक और ATM कार्ड।

↓

लिक्विडेशन टूल्स:- पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) मशीनें, जिनका इस्तेमाल शायद कार्ड स्वाइप करने और तुरंत सही लगने वाले मर्चेंट अकाउंट में फ़ंड भेजने के लिए किया जाता है।

↓

डिजिटल हैंडऑफ़ ("सपोर्ट बाबा" लेयर)

एनोनिमिटी लेयर:- **हैंडलर एंड-यूज़र से नहीं मिलते हैं। बातचीत पूरी तरह से WhatsApp ग्रुप (जैसे, सपोर्ट बाबा) के ज़रिए डिजिटल होती है।**

↓

जानकारी में अंतर:- **हैंडलर कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट की डिटेल्स, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और OTP एक्सेस इन ग्रुप्स पर अपलोड करते हैं, जिससे अकाउंट्स का कंट्रोल मेन ऑपरेटर्स के हाथ में चला जाता है।**

↓

लेयरिंग और मोनेटाइजेशन (कैश फ्लो)

↓

इनफ्लो:- **अनजान थर्ड पार्टी (साइबर फ्रॉड करने वाले, गैर-कानूनी बेटिंग ऑपरेटर, या सेक्सटॉर्शनिस्ट) पीड़ितों को इन कॉर्पोरेट अकाउंट्स में स्कैम का पैसा जमा करने के लिए कहते हैं।**

↓

पेआउट:-

हैंडलर लोकल फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने, OTPs को मैनेज करने और अकाउंट्स को एक्टिव रखने के लिए, वे ट्रांजैक्शन की गई रकम का एक तय परसेंटेज (कमीशन) **लेते हैं, जबकि लॉन्ड्र किए गए पैसे का बड़ा हिस्सा आगे लेयर किया जाता है या क्रिप्टो में बदल दिया जाता है।**

06.बरामगदी:-

79 अदद चेक बुक	06 अदद पीओएस मशीन
77 अदद ए0टी0एम0 कार्ड	14 अदद की पैड मोबाइल
15 अदद एण्ड्राइड मोबाइल	29 अदद सिम कार्ड
विभिन्न कम्पनियों के दस्तावेज	03 अदद लैपटोप
03 अदद आईकार्ड	06 अदद स्टांप मोहर

05.गिरफ्तारी टीम:-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम व साइबर सेल की संयुक्त टीम।

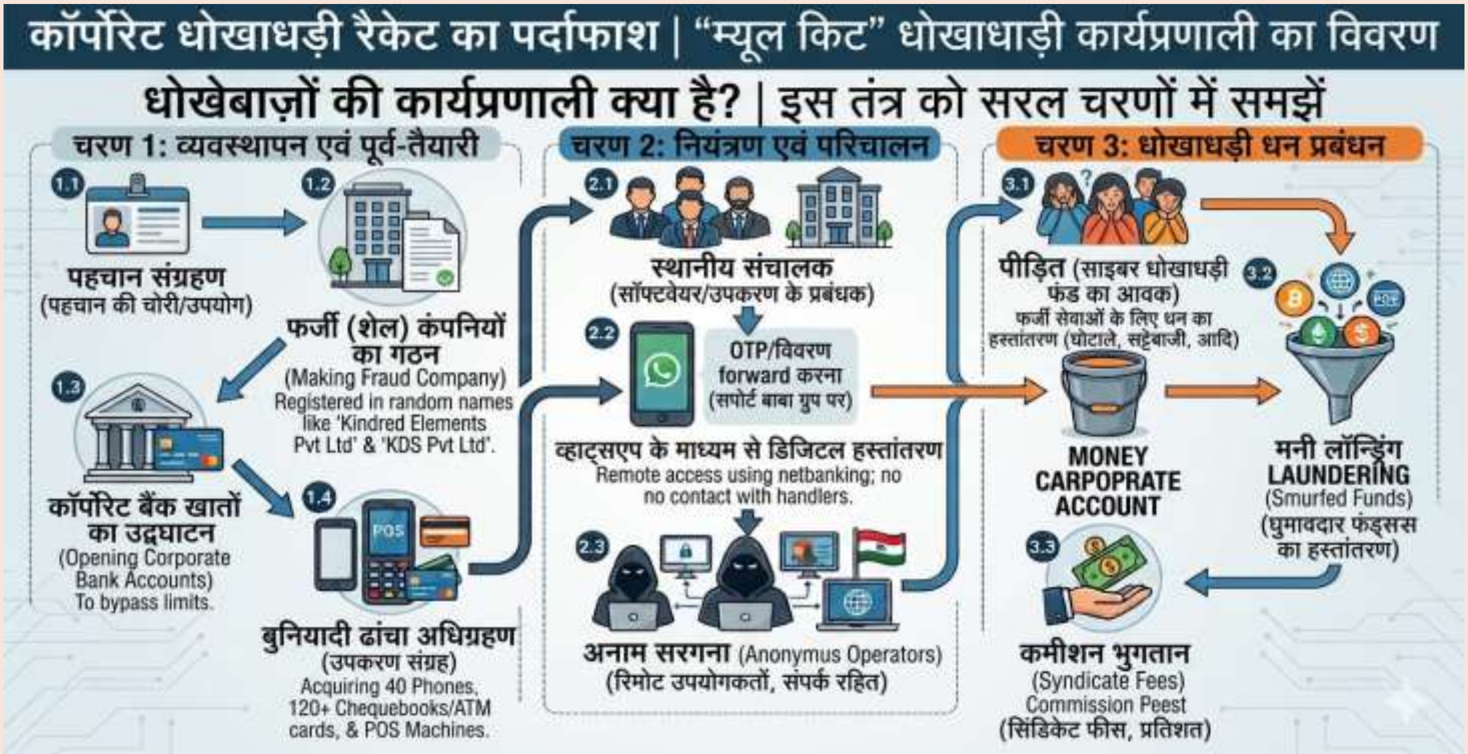
कॉर्पोरेट धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश | "म्यूल किट" धोखाधाड़ी कार्यप्रणाली का विवरण
धोखेबाज़ों की कार्यप्रणाली क्या है? | इस तंत्र को सरल चरणों में समझें
चरण 1: व्यवस्थापन एवं पूर्व-तैयारी
1.1
पहचान संग्रहण
(पहचान की चोरी/उपयोग)
1.2
फर्जी (शेल) कंपनियों का गठन
(Making Fraud Company)
Registered in random names like 'Kindred Elements Pvt Ltd' & 'KDS Pvt Ltd'.
1.3
कॉर्पोरेट बैंक खातों का उद्घघाटन
(Opening Corporate Bank Accounts)
To bypass limits.
1.4
POS
बुनियादी ढांचा अधिग्रहण
(उपकरण संग्रह)
Acquiring 40 Phones, 120+ Chequebooks/ATM cards, & POS Machines.
चरण 2: नियंत्रण एवं परिचालन
2.1
स्थानीय संचालक
(सॉफ्टवेयर/उपकरण के प्रबंधक)
2.2
OTP/विवरण forward करना (सपोर्ट बाबा ग्रुप पर)
व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरण
Remote access using netbanking; no no contact with handlers.
2.3
अनाम सरगना (Anonymus Operators)
(रिमोट उपयोगकर्तों, संपर्क रहित)
चरण 3: धोखाधड़ी धन प्रबंधन
3.1
पीड़ित (साइबर धोखाधड़ी फंड का आवक)
फर्जी सेवाओं के लिए धन का हस्तांतरण (घोटाले, सट्टेबाजी, आदि)
MONEY CARPOPRATE ACCOUNT
3.2
मनी लॉन्ड्रिंग LAUNDERING
(Smurfed Funds)
(घुमावदार फंड्सस का हस्तांतरण)
3.3
कमीशन भुगतान
(Syndicate Fees)
Commission Peest
(सिंडिकेट फीस, प्रतिशत)

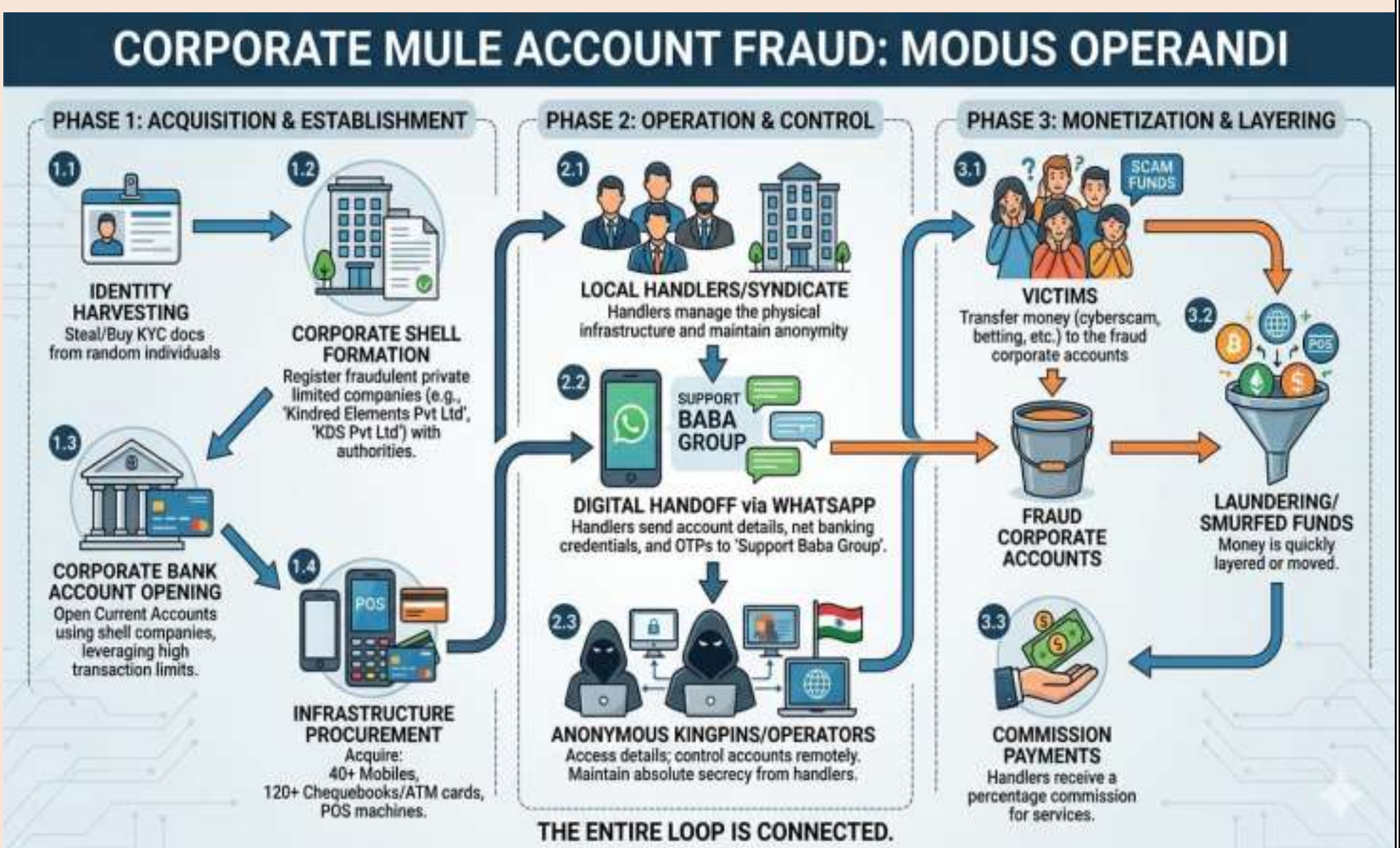
CORPORATE MULE ACCOUNT FRAUD: MODUS OPERANDI
PHASE 1: ACQUISITION & ESTABLISHMENT
1.1
IDENTITY HARVESTING
Steal/Buy KYC docs from random individuals
1.2
CORPORATE SHELL FORMATION
Register fraudulent private limited companies (e.g., 'Kindred Elements Pvt Ltd', 'KDS Pvt Ltd') with authorities.
1.3
CORPORATE BANK ACCOUNT OPENING
Open Current Accounts using shell companies, leveraging high transaction limits.
1.4
POS
INFRASTRUCTURE PROCUREMENT
Acquire: 40+ Mobiles, 120+ Chequebooks/ATM cards, POS machines.
PHASE 2: OPERATION & CONTROL
2.1
LOCAL HANDLERS/SYNDICATE
Handlers manage the physical infrastructure and maintain anonymity
2.2
SUPPORT BABA GROUP
DIGITAL HANDOFF via WHATSAPP
Handlers send account details, net banking credentials, and OTPs to 'Support Baba Group'.
2.3
ANONYMOUS KINGPINS/OPERATORS
Access details; control accounts remotely. Maintain absolute secrecy from handlers.
PHASE 3: MONETIZATION & LAYERING
3.1
SCAM FUNDS
VICTIMS
Transfer money (cyberscam, betting, etc.) to the fraud corporate accounts
FRAUD CORPORATE ACCOUNTS
3.2
LAUNDERING/ SMURFED FUNDS
Money is quickly layered or moved.
3.3
COMMISSION PAYMENTS
Handlers receive a percentage commission for services.
THE ENTIRE LOOP IS CONNECTED.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1082
दिनांक-29.06.2026

(CRIME BRANCH) - पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

ऑपरेशन 'दहन' : लखनऊ पुलिस का नशा तस्करी के विरुद्ध सशक्त अभियान, 344.87 किलोग्राम मादक पदार्थों का निस्तारण

01-कार्यवाही –

भारत सरकार के "नशा मुक्त भारत अभियान", गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan for Drug Demand Reduction - NAPDDR) तथा उत्तर प्रदेश सरकार की "नशा मुक्त उत्तर प्रदेश" की परिकल्पना के अनुरूप लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी एवं निरंतर अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाकर समाज को नशामुक्त बनाना है।

इसी क्रम में दिनांक 29 जून, 2026 को जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोज़ल कमेटी द्वारा न्यायालय एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुपालन में "ऑपरेशन दहन" के अंतर्गत विभिन्न अभियोगों से संबंधित 344.8738 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों का वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप सुरक्षित निस्तारण कराया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹1,18,29,315 (₹1.18 करोड़) है।

02-मुख्य बिंदु:

01-निस्तारण का विवरण: माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में गांजा, चरस, स्मैक, हेरोइन आदि कुल 344.8738 किलोग्राम मादक पदार्थ को नियमानुसार नष्ट किया गया। यह निस्तारण पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए अधिकृत इन्सिनरेटर में किया गया।

निस्तारित मादक पदार्थों में 319.650 किलोग्राम पोस्ता, 23.400 किलोग्राम गांजा, 1.1368 किलोग्राम हेरोइन/मार्फीन, 0.087 किलोग्राम डाइजेपाम तथा 0.300 किलोग्राम चरस शामिल हैं। इस कार्रवाई से इन मादक पदार्थों के पुनः अवैध उपयोग एवं तस्करी की संभावनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी।

निस्तारित मादक पदार्थों का शीर्षकवार विवरण:

क्र0सं0	मादक पदार्थ	मात्रा (किलोग्राम)	अनुमानित कीमत (₹)	औसत दर (प्रति किलोग्राम)*
01	पोस्ता	319.65	3,83,580.00	₹1,200.00
02	गांजा	23.400	71,235.00	₹3,044.23
03	हेरोइन / मार्फीन	1.1368	1,13,68,000.00	₹1,00,00,000.00 (1 करोड़)

क्र0सं0	मादक पदार्थ	मात्रा (किलोग्राम)	अनुमानित कीमत (₹)	औसत दर (प्रति किलोग्राम)*
04	डायजापाम	0.087	500.00	₹5,747.12
05	चरस	0.300	6,000.00	₹20,000.00
---	कुल योग	344.8738	1,18,29,315.00	---

02. ऑपरेशन दहन का उद्देश्य: नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं जब्त मादक पदार्थों के सुरक्षित निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे इन पदार्थों का पुनः दुरुपयोग न हो सके।

03. उपस्थित **अधिकारीगण:** इस अवसर पर श्रीमती किरन यादव अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध), **"नोडल अधिकारी आपरेशन दहन"**, सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध), ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्य, फोरेंसिक टीम एवं संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक उपस्थित रहे। निस्तारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई।

04. पुलिस की अपील: एडीसीपी अपराध एवं नोडल अधिकारी, नारकोटिक्स सेल, सुश्री किरन यादव ने बताया कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट Zero Tolerance Against Drugs की नीति पर कार्य करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में क्राइम ब्रांच द्वारा 300 ग्राम प्रतिबंधित OG (हाइड्रोपोनिक गांजा) बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करने, वित्तीय जांच करने तथा संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार हेतु लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।

नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, औद्योगिक संस्थानों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभावों, कानूनी प्रावधानों तथा नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट आमजन से अपील करती है कि यदि कहीं भी मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त, तस्करी, भंडारण अथवा किसी अन्य अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो तत्काल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एवं नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 7839861034 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त प्रत्येक सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जारीकर्ता
अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध)
कार्यालय